सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 155 राँची, गुरुवार

21 फाल्गुन, 1936 (श०)

12 मार्च, 2015 (ई०)

पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग

अधिसूचना

12 मार्च**, 2015**

संख्या-1 स्था०(वि०) **– 58/2014...704... -- जी० एस० आर० --** झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा- 2 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत शाक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड पंचायत (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2014 जिसके प्रारूप का प्रकाशन धारा 131 की उपधारा (1) के अनुसार पूर्व में किया जा चूका है, को प्रकाशित करती है.

झारखण्ड पंचायत (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2014

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-

(i) यह नियमावली झारखण्ड पंचायत (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी.

(ii) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. परिभाषाएँ – इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेछित न हो, -

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001);

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा;

(ग) **"जनसंख्या"** से अभिप्रेत है ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चत की गई जनसंख्या, जिसके सुसंगत ऑकड़े प्रकाशित हो गए हैं;

(घ) "पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा- 2 की उपधारा (i) के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग;

(ड़) "पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा- 2 की उपधारा (i) की अधीन अन्य पिछड़े वर्गों की ऐसी जनसंख्या जिसका अभिनिश्चय अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के ऑकड़ो के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार किया गया हो;

(च) "अभिनिश्चय" से अभिप्रेत है अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ ग्रामवार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या ज्ञात करने के निमित किया गया कार्य;

(छ) "ग्राम" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा-2 की उपधारा (ii) के अधीन परिभाषित राजस्व ग्राम;

(ज) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली में उपाबद्ध अनुसूची;

(ञ) "विभाग" से अभिप्रेत है पंचायती राज एवं एन० आर० ई० पी०(विशेष प्रमंडल) विभाग;

(ट) "सरकार/राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड की राज्य सरकार.

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 एवं झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 में उनके लिए दिए गए हैं।

3. **पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय** –

(1) पंचायतों में निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों एवं पदों में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों **से भरे जाने वाले स्थानों का अनुपात ज्ञात करने के लिए अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रकाशित** ऑकड़ो के संदर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या अभिनिश्चित की जाएगी;

(2) उक्त अभिनिश्चय का आधार "बिहार पंचायत (पिछड़े वर्गों की व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 1993" के तहत् ग्रामवार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या होगी;

(3) सर्वप्रथम वर्ष 1991 की जनगणना के ऑकड़ो के तहत् "अन्य" की जनसंख्या में उप नियम (2) के अधीन पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात किया जायेगा;

(4) उप नियम (3) के अधीन पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के ज्ञात प्रतिशत को आधार मानकर अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में "अन्य" की जनसंख्या के संदर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या आकलित की जाएगी;

(5) अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के ऑकड़ो में "अन्य" की जनसंख्या के आधार पर पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या अभिनिश्चित करते समय गणना में आधा एवं आधा से कम को छोड़ दिया जायेगा तथा आधा से अधिक को एक माना जाएगा ।

4. **अभिनिश्चित सूची का प्रकाशन** –

(1) नियम- 3 के अधीन पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या के आकलन के लिए प्रपत्र-1 में पंजी तैयार की जाएगी;

(2) नियम- 4 के उप नियम (1) के अधीन प्रपत्र-1 में तैयार पंजी के आधार पर प्रपत्र- 2 में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या का प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा;

(3) प्रपत्र-2 का प्रारूप सम्बन्धित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् कार्यालय में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जायेगा;

(4) उप नियम (3) के अधीन प्रकाशित प्रारूप में अन्तर्विष्ट किसी बात की सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव, लिखित रूप में, प्रपत्र-2 में प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर

जिला दण्डाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर किसी अन्य पदाधिकारी को दी जा सकेगी;

(5) उप नियम (4) के अधीन आपत्ति या सुझाव प्राप्त होने पर जिला दण्डाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी आवश्यक जाँच के उपरान्त अपना विनिश्चय करेगा जो अंतिम होगा एवं यह विनिश्चय उप नियम (4) में प्रकाशन के निर्धारित अंतिम तिथि से अगले सात दिनों के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा । तत्पश्चात प्रपत्र- 2 में अंतिम रूप से तैयार किया जायेगा ।

5. पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा प्राप्त करना –

(1) जिला दण्डाधिकारी, अभिनिश्चियन कार्य हेतु राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के किसी पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रातिनियुक्त कर सकेगा अथवा इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(2) अभिनिश्चयन का कार्य सही रूप से सम्पन्न हो, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिला दण्डाधिकारी की होगी;

(3) जिला दण्डाधिकारी द्वारा अभिनिश्चियन संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी या उसके समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में प्रातिनियुक्त किया जाएगा, जो यथा निदेशानुसार अपना प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को समर्पित करेगा ।

6. अभिनिश्चित जनसंख्या का प्रकाशन-

(1) नियम 4 के उप नियम (5) के अन्तर्गत प्रपत्र-2 में अंतिम रूप से ग्रामवार अभिनिश्चित पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या एवं उसकी प्रखण्डवार संकलित संख्या को जिला दण्डाधिकारी अधिसूचना के माध्यम से जिला गजट में प्रकाशित करेगा;

(2) जिला दण्डाधिकारी, प्रकाशित जिला गजट की एक प्रति सरकार के पंचायती राज विभाग एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा;

(3) सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा सभी जिलों से प्राप्त पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या को जिलावार समेकित कर राजकीय गजट में प्रकाशित किया जायेगा एवं उसकी एक प्रति सभी जिलों एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा ।

7. ऑकड़ो की विमुक्ति एवं सुरक्षा

(1) अभिनिश्चियन कार्य से सम्बन्धित सभी ऑकड़े एवं अभिलेख सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को उपलब्ध एवं विमुक्ति नहीं किए जायेंगे;

(2) अभिनिश्चियन कार्य से सम्बन्धित ऑकड़ो के अभिलेख जिला दण्डाधिकारी की अभिरक्षा में अगले आदेश तक के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे ।

8. कठिनाई दूर करने की व्यवस्था-

झारखण्ड पंचायत राज अभिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत् इस नियमावली के प्रयोजनार्थ पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या के अभिनिश्चय सम्बंधी कार्य में किसी कठिनाई को दूर करने के निमित्त पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य सरकार की सहमति से विधि सम्मत आदेश/निर्देश निर्गत किया जा सकेगा ।

9. व्यावृत्ति-

बिहार पंचायत (पिछड़े वर्गों की व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 1993 के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत् पूर्व में की गई कारवाई झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की सुसंगत धाराओं के आलोक में अविधिमान्य नहीं समझे जाएंगे मानो उक्त नियमावली उक्त तिथि को प्रवृत था जिस तिथि को ऐसी करवाई की गई थी ।

10. शास्ति-

अभिनिश्चयन कार्य में किसी भी स्तर के पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि जानबूझ कर या दुर्भावना से कोई गलती या कर्तव्य की उपेक्षा या लापरवाही किया जाता है तो उसके विरुद्ध झारखण्ड पंचायत राज अभिनियम, 2001 की धारा -131 की उपधारा (3) के तहत् कारवाई की जा सकेगी ।

संचिका संख्या – 1 स्था०(वि०) – 58/2014
झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
(ह0/-)असपष्ट
प्रधान सचिव
पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी०
(विशेष प्रमंडल विभाग), झारखण्ड ।

अनुसूची

(नियम- 3 देखिये)

उदाहरण- 1

पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या अभिनिश्चित करने की प्रक्रिया

प्रथम चरण :

झारखंड पंचायत (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या अभिनिश्चिय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2014 के नियम- 3 के उप नियम (1) में यथा उल्लेख है कि "पंचायतो में निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों एवं पदों में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों से भरे जाने वाले स्थानों का अनुपात ज्ञात करने के लिए अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रकाशित आँकड़ों के सन्दर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या अभिनिश्चित की जाएगी ।" सर्वप्रथम प्रपत्र - 1 के कॉलम संख्या 2,3,4,5 एवं 6 में उनसे सम्बंधित ब्योरा / आंकडें अंकित किये जायेंगे । तत्पश्चात नियम 3 के उप नियम (2) के तहत बिहार पंचायत (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या अभिनिश्चिय एवं प्रकाशन) नियमावली , 1993 के आधार पर राजस्व ग्रामवार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसँख्या को प्रपत्र – 1 के कॉलम 8 में अंकित किया जायेगा । नियमावली के नियम 3 के उप नियम (3) के तहत प्रपत्र – 1 के कॉलम 9 में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार "अन्य" की जनसँख्या में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात करने हेतु ग्राम की "कुल" जनसँख्या में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या के योग को घटा दिया जायगा और इस प्रकार जो परिणाम प्राप्त होगा वह "अन्य" की जनसँख्या होगी जिसे कॉलम 7 में अंकित किया जायेगा । उदाहरणस्वरूप, यदि किसी राजस्व ग्राम- रामपुर (कल्पित नाम) की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसँख्या 2490 है जिसमें अनुसूचित जाति की जनसँख्या 240 तथा अनुसूचित जनजाति की 342 है तो उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार [कुल – (अनुसूचित जाति + अनुसूचित जनजाति) = अन्य] की जनसँख्या प्राप्त की जाएगी । अर्थात् [2490-(240+342)=1908] प्राप्त किया जायगा जिसे प्रपत्र – 1 के कॉलम 7 में अंकित किया जायेगा ।

अब चुंकि झारखण्ड पंचायत (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या का अभिनिश्चिय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप नियम (3) के तहत पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या का प्रतिशत "अन्य" की जनसँख्या (1908) में से प्राप्त करना है, तो इसके लिए निम्नवत गणना की जायेगी–

1. वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम रामपुर की "कुल" जनसँख्या – 2490
2. वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम रामपुर में "अन्य" की जनसँख्या – 1908
3. वर्ष 1993 की नियमावली के अनुसार पिछड़ा वर्ग की व्यक्तियों की अभिनिश्चित कुल जनसँख्या – 490

4. वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम रामपुर की - $\frac{490 \times 100}{1908} = 25.68$
अन्य की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग की व्यक्तियों का प्रतिशत :
प्राप्त प्रतिशत को प्रपत्र -1 के कॉलम 9 में अंकित किया जायेगा ।

द्वितीय चरण :

इस चरण में प्रपत्र – 1 के कॉलम 10,11एवं 12 से सम्बंधित कार्य किये जायेंगे । इस निमित नियम-3 के उप नियम (4) के अधीन यथा उल्लिखित प्रकिया के अनुसार अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, 2011 (यदि वर्ष 2011 की जनगणना के सन्दर्भ में आंकड़े प्राप्त करना हो तो) की "कुल" जनसँख्या में से "अन्य" की जनसँख्या प्राप्त की जायेगी तथा प्रपत्र – 1 के कॉलम 10 में उक्त आँकड़ों को अंकित किया जायेगा । उदाहरणस्वरूप, यदि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम रामपुर की "कुल" जनसँख्या 2692 है जिसमें अनुसूचित जाति की जनसँख्या 292 तथा अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या 398 है तो "अन्य" की जनसँख्या ज्ञात करने के लिए उक्त ग्राम की "कुल" जनसँख्या में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या के योग को घटा देने से 'अन्य' की जनसँख्या प्राप्त हो जायगी, अर्थात 2692-(292+398)= 2002 होगा।

तत्पश्चात प्रथम चरण के क्रमांक 4 में प्राप्त पिछड़े वर्ग में व्यक्तियों की जनसँख्या के प्रतिशत को अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना (2011) के 'अन्य' की जनसँख्या के सन्दर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या निम्नवत आकलित की जायेगी –

1. अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना (2011) के अनुसार ग्राम रामपुर की 'कुल' जनसँख्या- 2692
2. अनुसूचित जाति की जनसँख्या - 292
3. अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या- 398
4. 'अन्य' की जनसँख्या : 2692 – (292+396) = 2002

$$\text{पिछड़ा वर्ग की जनसँख्या} - \frac{\text{द्वितीय चरण के क्रमांक 4 से प्राप्त आंकड़ा} \times \text{प्रथम चरण के क्रमांक 4 से प्राप्त प्रतिशत}}{100}$$

$$\text{अर्थात } \frac{2002 \times 25.68}{100} = 514.11$$

उपर्युक्त आँकड़ों को प्रपत्र – 1 के कॉलम 11 में अंकित किया जायेगा ।

झारखण्ड पंचायत (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या का अभिनिश्चिय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप नियम (5) के अधीन अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना (2011) के आँकड़ों के सन्दर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या को अभिनिश्चित करते समय गणना में आधा एवं आधा से कम छोड़ देना है तथा आधा से अधिक को एक माना जाना है। इसलिए उपर्युक्त प्रकार से आकलित पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या जो 514.11 प्राप्त हुआ है उसे नियम 3 के उप नियम (5) के अधीन रहते हुए 514 माना जायगा तथा प्रपत्र – 1 के कॉलम 12 में तदनुसार अंकित किया जायेगा ।

प्रपत्र – 1

(नियम- 4 (1) देखिये)

पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय पंजी

जिला .....

क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	थाना न०	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार "अन्य" की जनसंख्या	वर्ष 1993 की नियमावली के अनुसार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की कुल अभिनिश्चत जनसंख्या	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अन्य की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत	अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार "अन्य" की जनसंख्या	अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार "अन्य" की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की आकलित जनसंख्या (स्तम्म 10x9 100)	अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चत जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

जिला दंडाधिकारी द्वारा प्राधिकृत

पदाधिकारी का नाम, हस्ताक्षर व मुहर

प्रारूप

अंतिम

प्रपत्र – 2

(नियम – 4 देखिये)

जिला .....

प्रखण्ड.....

क्र०सं०	ग्राम का नाम	थाना संख्या	पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चत जनसंख्या
1	2	3	4

जिला दंडाधिकारी

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 155—50+500 ।